



दूरभाष :- 0151-2970665

राजस्थान-सरकार ई-मेल :- jdmandalbkn@gmail.com

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।

क्रमांक :- सनि/स्कूल शिक्षा/ बीकानेर/संस्था-1/वअ भर्ती 2018/परामर्श कैम्प/2020/ 871

दिनांक 19.08.2020

पदस्थापन परामर्श सूचना (Counselling for Posting Information)

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती वर्ष 2018 में चयनित अभ्यर्थी

विषय :- गणित/विज्ञान/संस्कृत/हिन्दी/अंग्रेजी/सामाजिक विज्ञान (नॉनटीएसपी)

श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक:- शिविरा-मा./ संस्था /एफ-1 /12102/सी.भ/व.अ.-गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान (नॉन टीएसपी-2018 /2020 दिनांक 17.08.2020 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (नॉनटीएसपी) भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के सम्भाग आवंटन-पश्चात् बीकानेर सम्भाग को आवंटित किये जाने पर वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) के पदस्थापन हेतु निम्नानुसार परामर्श कैम्प आयोजित किया जाता है।

परामर्श कैम्प स्थल :- कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर करणी सिंह स्टेडियम के सामने, बीकानेर।

A. कार्यक्रम

क्र० सं०	विषय	दिनांक	अभ्यर्थियों की संख्या	पंजीयन समय एवं प्रमाण-पत्र जांच	वरीयता निर्धारण का समय (संशोधन/आपत्ति हेतु)	काउंसलिंग का समय
1	अंग्रेजी	22.08.2020 (शनिवार)	103	सुबह 8 से 10 बजे तक	सुबह 10.30 से 11.00 बजे तक	सुबह 11.00 से
2	गणित	24.08.2020 (सोमवार)	121	सुबह 8 से 10 बजे तक	सुबह 10.30 से 11.00 बजे तक	सुबह 11.00 से
3	विज्ञान	26.08.2020 (बुधवार)	118	सुबह 8 से 10 बजे तक	सुबह 10.30 से 11.00 बजे तक	सुबह 11.00 से
4	संस्कृत	28.08.2020 (शुक्रवार)	122	सुबह 8 से 10 बजे तक	सुबह 10.30 से 11.00 बजे तक	सुबह 11.00 से
5	सामाजिक विज्ञान	बिन्दु संख्या "C" के अनुसार।				
6	हिन्दी	03.09.2020 (गुरुवार)	122	सुबह 8 से 10 बजे तक	सुबह 10.30 से 11.00 बजे तक	सुबह 11.00 से

चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची एवं पदस्थापन हेतु निर्धारित की गई रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची परामर्श शिविर से एक दिन पूर्व विभागीय वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दी जावेगी।

B. सम्भाग आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण निम्न क्रम में किया जायेगा :-

क्रस	वरीयता बिन्दु	वरीयता निर्धारण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अभ्यावेदन
1	40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग	सक्षम चिकित्सक का प्रमाण पत्र।
2	विधवा महिला	पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ-पत्र 50/-रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
3	परित्यक्ता महिला	सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन सम्बन्धी डिक्री एवं काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र 50/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
4	एकल महिला (अविवाहित)	50/-रुपये के स्टाम्प पेपर पर काउंसलिंग दिनांक तक अविवाहित होने का शपथ-पत्र।
5	भूतपूर्व सैनिक	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
6	पति पत्नी प्रकरण (पूर्व से)	पूर्व में राज्य सेवा/राजकीय विभाग/सार्वजनिक निगम/बोर्ड/उपक्रम में बीकानेर सम्भाग (बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़) में कार्यरत हो तो कार्यरत पति/पत्नी के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण-पत्र एव सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र।
7	पति-पत्नी प्रकरण (वर्तमान भर्ती)	उक्त भर्ती में समान/असमान विषय में पति-पत्नी दोनों के चयन होने एवं बीकानेर संभाग आवंटित होने की स्थिति में दंपति में से किसी एक को उच्च वरीयता के क्रमानुसार प्राथमिकता हेतु मैरिट के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र।

8	शहीद परिवार आश्रित (अविवाहित पुत्री/ वीरांगना)	वीरांगना की स्थिति में सम्बन्धित शहीद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं पुत्री की स्थिति में अविवाहित होने सम्बन्धी शपथ-पत्र।
9	महिला अभ्यर्थी	-
10	अन्य शेष अभ्यर्थी	-

उक्तानुसार प्राथमिकता प्राप्त अभ्यर्थियों को बिन्दु के सम्मुख अंकित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही प्राथमिकता का लाभ दिया जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के वरीयता निर्धारण में संशोधन/आपत्ति हो तो वह काउंसलिंग दिवस को ही निर्धारित समय सुबह 10.30 से 11.00 तक काउंसलिंग स्थल पर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं इसके पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। परामर्श कैंप में उपस्थित होकर विद्यालय का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों का विभाग द्वारा प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों पर स्थानीय कार्यालय स्तर पर पदस्थापन किया जाएगा।


C. (सामाजिक विज्ञान) विशेष नोट :- राज्य सरकार की कोविड-19 के तहत जारी एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उक्त विषय के परामर्श शिविर की प्रक्रिया के लिए अन्य विषयों से इतर व्यवस्था की जा रही है इस विषय के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग वरीयता का निर्धारण काउंसलिंग तिथि से पूर्व किया जा रहा है।

सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी मैरिट के अलावा यदि वो परामर्श शिविर हेतु क्र०स० 1 से 08 उपरोक्तानुसार विशेष श्रेणी के लाभ की पात्रता रखते हैं तो वे अपने वरीयता सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय आवश्यक प्रमाण-पत्र/शपथ पत्र इस कार्यालय की ई-मेल आईडी jdbknrpsc2018@gmail.com में दिनांक 27.08.2020 समय सायं 6.00 बजे तक अपनी आपत्ति मेल द्वारा दर्ज करवा सकेंगे। मेल से प्राप्त आवेदन एवं शपथ को सम्मिलित करते हुए वरीयता सूची दिनांक 28.08.2020 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी। उक्त में भी किसी को विशेष श्रेणी में वरीयता निर्धारण के सन्दर्भ में कोई आपत्ति है तो वह दिनांक 29.08.2020 समय सायं 6.00 तक अपने आवेदन पत्र/आवश्यक प्रमाण पत्र व शपथ पत्र मेल के जरिये प्रेषित करें। इसके पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। अन्तिम वरीयता सूची दिनांक 30.08.2020 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी जावेगी। कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्र० स०	विषय	दिनांक	अभ्यर्थियों की संख्या	पंजीयन समय एवं प्रमाण-पत्र जांच	काउंसलिंग का समय
1	सामाजिक विज्ञान कुसु०	31.08.2020 (सोमवार)	विशेष श्रेणी के वरीयता बिन्दु 01 से 09 तक के समस्त अभ्यर्थी।	सुबह 8 से 10 बजे तक	सुबह 11.00 से
		01.09.2020 (मंगलवार)	विशेष श्रेणी के अलावा शेष रहे अभ्यर्थी	सुबह 8 से 10 बजे तक	सुबह 11.00 से

समस्त विषयों के परामर्श कैंप हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-

- काउंसलिंग में सम्मिलित वाले अभ्यर्थी कोई एक पहचान पत्र (आई०डी०), मूल दस्तावेज एवं वरीयतानुसार दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ में लावें।
- काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक :- एफ 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का, एवं विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र एवं आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से साथ में लावें।
- चयनित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता राज्य के बाहर की है तो छाया प्रति की स्व-प्रमाणित प्रति साथ में लावें।
- आरक्षण सम्बन्धी दस्तावेज (अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण-पत्र जो पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए।
- वैश्विक महामारी कोविड-19 की परिस्थितियों के अनुसार जारी एडवाइजरी में प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा।


(श्रीमैन्द् कुमार जोशी)
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, बीकानेर सम्भाग,
बीकानेर